

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज |
|----------------|--|
| 30-3-26 | <p> नागव तहसीलदार लाखेरी की रिपोर्ट के होने पर पत्रावली सींगे से तलब कर पे हुई। रिपोर्ट नागव तहसीलदार लाखेरी के उत्तवानी प्रकार सं. 43/दावा/07 राधेश्याम कनाम किसिन्धा वर्तमान में निर्णय दिनांक 23-5-2013 की पालना में बय्यादा किया जाने से. मरुते अनुसार एव वतमान जमाने की रिपोर्ट के अनुसार वादीगण का नाम राजार रिपोर्ट में नहीं होने से कचरा किया जाने में अक्षमर्चना जलाई गई. रिपोर्ट में कचरा किया गया कि वादीगण द्वारा अनुलोप चाय गया था वर्तमान जमाने में वादीगण का नाम राजार रिपोर्ट दर्ज नहीं की. कारण बय्यादा किया जाने सम्भव नहीं है। अतः वादीगण चाय चाय गया - अनुलोप राजार रिपोर्ट में वादीगण का नाम विलोपित हो जाने से अनुलोप नहीं दिया जा सकता है अतः वादीगण का वाद इसी स्तर पर स्थिर किया जाता है। पत्रावली केमल शुभार होकर वाद प्रकृति पर वादीगण द्वारा हो। </p> <p style="text-align: center;"> (3) उपखण्ड अधिकारी लाखेरी (बून्दी) </p> |

कार्यालय उप त

क्रमांक: पु अमि/2026/261

प्रति:

2026/07

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय
 उपखण्ड लाखेरी